

~~MSTP/04.12.14~~
MSTP/04.12.14-868
22/12/14

[TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,
PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES
(Income-tax)

NOTIFICATION

New Delhi, Dated the 10th December, 2014

S.O.....(E)___ In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the notification of the Government of India, Central Board of Direct Taxes number S.O.1942(E), dated the 19th August, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 19th August, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Direct Taxes hereby, -

- (i) directs that the Director General of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), New Delhi, specified in column (2) of the Schedule-I annexed to this notification, having his headquarters at the place specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule, shall exercise powers and perform functions in respect of such territorial areas or such persons or classes of persons or such incomes or classes of incomes or such cases or classes of cases, in respect of which the Directors of Income-tax specified in column (4) of the said Schedule are having jurisdiction;
- (ii) directs that the Director(s) of Income-tax specified in column (2) of the Schedule-II annexed to the notification, having their headquarters at the places specified in the corresponding entry in column (3) of the Schedule-II, shall exercise powers and perform functions specified in column (5) of the Schedule-II in respect of the territorial areas specified in corresponding entry of column (4) of the aforesaid Schedule-II;
- (iii) authorises the Director General of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation) specified in column (2) of Schedule-I or Director(s) of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation) specified in column (2) of Schedule-II in this Notification to issue orders in writing to the Income-tax authorities subordination to them for the exercise of such powers and functions specified in column (5) of the Schedule-II, in respect of territorial areas under their jurisdiction;

SCHEDULE-I

Sl. No.	Designation of Income-tax authorities	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Director General of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Delhi	New Delhi	(i) Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation) (Administration), Delhi (ii) Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Delhi (iii) Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Mumbai (iv) Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Chennai (v) Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Kolkata (vi) Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Chandigarh (vii) Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Jaipur (viii) Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Ahmedabad (ix) Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Lucknow (x) Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Kanpur (xi) Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Guwahati (xii) Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Patna (xiii) Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Bhopal (xiv) Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Pune (xv) Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Nagpur (xvi) Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Hyderabad (xvii) Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Bhubaneswar (xviii) Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Kochi (xix) Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Bengaluru

SCHEDULE-II

Sl. No.	Director of Income-tax	Headquarters	Territorial jurisdiction	Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation) (Administration), Delhi	Delhi	Areas within the limits of all states and union territories of India	All powers and functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
			Areas within the limits of the National Capital Territory of Delhi	All powers and functions related to and in connection with collection, collation, verification and dissemination of information under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including sections 131, 133, 133A, 133B, 134, 135, 285BA, and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
2.	Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Delhi	Delhi	Areas within the limits of all states and union territories of India	All powers and functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
			Areas within the limits of the National Capital Territory of Delhi	All powers and functions related to and

Sl. No.	Director of Income-tax	Headquarters	Territorial jurisdiction	Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				in connection with collection, collation, verification and dissemination of information under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including sections 131, 133, 133A, 133B, 134, 135, 285BA, and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
3.	Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Mumbai	Mumbai	Areas within the limits of all states and union territories of India	All powers and functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
			Areas within the limits of Municipal Corporations of Greater Mumbai and Navi Mumbai	All powers and functions related to and in connection with collection, collation, verification and dissemination of information under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including sections 131, 133, 133A, 133B, 134, 135, 285BA, and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
4.	Director of Income-tax (Intelligence and Criminal	Chennai	Areas within the limits of all states and union territories of India	All powers and functions under section 132 of the Income-tax

Sl. No.	Director of Income-tax	Headquarters	Territorial jurisdiction	Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Investigation), Chennai			Act, 1961 (43 of 1961) and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
			Areas within the limits of the state of Tamil Nadu and union territory of Puducherry (including Karaikal but excluding Mahe and Yanam)	All powers and functions related to and in connection with collection, collation, verification and dissemination of information under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including sections 131, 133, 133A, 133B, 134, 135, 285BA, and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
5.	Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Kolkata	Kolkata	Areas within the limits of all states and union territories of India	All powers and functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
			Areas within the limits of the states of West Bengal and Sikkim, union territory of Andaman and Nicobar Islands	All powers and functions related to and in connection with collection, collation, verification and dissemination of information under the Income-tax Act, 1961 (43

Sl. No.	Director of Income-tax	Headquarters	Territorial jurisdiction	Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				of 1961), including sections 131, 133, 133A, 133B, 134, 135, 285BA, and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
6.	Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Chandigarh	Chandigarh	Areas within the limits of all states and union territories of India	All powers and functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
			Areas within the limits of the states of Haryana, Himachal Pradesh, Punjab and Jammu and Kashmir and union territory of Chandigarh	All powers and functions related to and in connection with collection, collation, verification and dissemination of information under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including sections 131, 133, 133A, 133B, 134, 135, 285BA, and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
7.	Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Jaipur	Jaipur	Areas within the limits of all states and union territories of India	All powers and functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and corresponding provisions of Chapter

Sl. No.	Director of Income-tax	Headquarters	Territorial jurisdiction	Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
			Areas within the limits of the state of Rajasthan	All powers and functions related to and in connection with collection, collation, verification and dissemination of information under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including sections 131, 133, 133A, 133B, 134, 135, 285BA, and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
8.	Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Ahmedabad	Ahmedabad	Areas within the limits of the state of Gujarat and union territories of Daman, Diu, and Dadra and Nagar Haveli	All powers and functions related to and in connection with collection, collation, verification and dissemination of information under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including sections 131, 133, 133A, 133B, 134, 135, 285BA, and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.

Sl. No.	Director of Income-tax	Headquarters	Territorial jurisdiction	Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Areas within the limits of all states and union territories of India	All powers and functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
9.	Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Lucknow	Lucknow	Areas within the limits of following revenue districts (including any district carved out from these subsequently) of: (i) Lucknow (ii) Unnao (iii) Barabanki (iv) Faizabad (v) Sultanpur (vi) Amethi (Chhatrapati Shahuji Maharaj Nagar) (vii) Pratapgarh (viii) Rae Bareilly (ix) Jaunpur (x) Basti (xi) Gonda (xii) Bahraich (xiii) Balrampur (xiv) Shravasti (xv) Ambedkar Nagar (xvi) Siddharth Nagar (xvii) Sant Kabir Nagar (xviii) Allahabad (xix) Mirzapur (xx) Fatehpur (xxi) Sonbhadra (xxii) Kaushambi (xxiii) Varanasi (xxiv) Bhadohi (Sant Ravidas Nagar) (xxv) Ballia (xxvi) Ghazipur (xxvii) Chandauli (xxviii) Gorakhpur (xxix) Deoria (xxx) Mau (xxxi) Azamgarh (xxxii) Kushinagar (xxxiii) Maharajganj	All powers and functions related to and in connection with collection, collation, verification and dissemination of information under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including sections 131, 133, 133A, 133B, 134, 135, 285BA, and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.

Sl. No.	Director of Income-tax	Headquarters	Territorial jurisdiction	Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(xxxiv) Bareilly (xxxv) Shahjahanpur (xxxvi) Pilibhit (xxxvii) Hardoi (xxxviii) Sitapur (xxxix) Lakhimpur Kheri (xl) Moradabad (xli) Bijnor (xlii) Rampur (xliii) Badaun (xliv) Amroha (Jyotiba Phule Nagar) (xlv) Sambhal in the state of Uttar Pradesh which will be coterminous with the jurisdiction of Principal Chief Commissioner of Income-tax, UP(East)	
			Areas within the limits of all states and union territories of India	All powers and functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
10.	Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Kanpur	Kanpur	Areas within the limits of following revenue districts (including any district carved out from these subsequently) of: (i) Kanpur Nagar (ii) Kanpur Dehat (Ramabai Nagar) (iii) Jalaun (iv) Hamirpur (v) Banda (vi) Chitrakoot (vii) Mahoba (viii) Agra (ix) Mathura (x) Auraiya (xi) Firozabad (xii) Jhansi (xiii) Lalitpur (xiv) Etawah (xv) Aligarh	All powers and functions related to and in connection with collection, collation, verification and dissemination of information under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including sections 131, 133, 133A, 133B, 134, 135, 285BA, and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other

Sl. No.	Director of Income-tax	Headquarters	Territorial jurisdiction	Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(xvi) Farrukhabad (xvii) Kannauj (xviii) Etah (xix) Hathras (xx) Mainpuri (xxi) Kanshiram Nagar (xxii) Muzaffarnagar (xxiii) Shamli (xxiv) Saharanpur (xxv) Meerut (xxvi) Baghpat (xxvii) Ghaziabad (xxviii) Hapur (Panchsheel Nagar) (xxix) Bulandshahr (xxx) Gautam Buddh Nagar (xxxi) Dehradun (xxxii) Haridwar (xxxiii) Uttarkashi (xxxiv) Tehri Garhwal (xxxv) Pauri Garhwal (xxxvi) Chamoli (xxxvii) Rudraprayag (xxxviii) Nainital (xxxix) Almora (xl) Pithoragarh (xli) Udham Singh Nagar (xlii) Champawat (xliii) Bageshwar in the states of Uttar Pradesh and Uttarakhand which will be coterminous with the jurisdiction of Principal Chief Commissioner of Income-tax, UP(West) and Uttarakhand	provisions incidental thereto of the said Act.
			Areas within the limits of all states and union territories of India	All powers and functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.

Sl. No.	Director of Income-tax	Headquarters	Territorial jurisdiction	Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Guwahati	Guwahati	Areas within the limits of the states of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Manipur, Nagaland and Arunachal Pradesh	All powers and functions related to and in connection with collection, collation, verification and dissemination of information under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including sections 131, 133, 133A, 133B, 134, 135, 285BA, and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
			Areas within the limits of all states and union territories of India	All powers and functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
12.	Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Patna	Patna	Areas within the limits of the states of Bihar and Jharkhand	All powers and functions related to and in connection with collection, collation, verification and dissemination of information under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including sections 131, 133, 133A, 133B, 134, 135, 285BA, and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter

Sl. No.	Director of Income-tax	Headquarters	Territorial jurisdiction	Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
			Areas within the limits of all states and union territories of India	All powers and functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
13.	Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Bhopal	Bhopal	Areas within the limits of the states of Madhya Pradesh and Chhattisgarh	All powers and functions related to and in connection with collection, collation, verification and dissemination of information under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including sections 131, 133, 133A, 133B, 134, 135, 285BA, and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
			Areas within the limits of all states and union territories of India	All powers and functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.

Sl. No.	Director of Income-tax	Headquarters	Territorial jurisdiction	Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Pune	Pune	<p>Areas within the limits of the Revenue districts (including any district carved out from these subsequently) of:</p> <p>(i) Pune (ii) Ahmednagar (iii) Satara (iv) Solapur (v) Kolhapur (vi) Sangli (vii) Sindhudurg (viii) Ratnagiri (ix) Thane (x) Raigad (xi) Palghar (xii) Nashik (xiii) Dhule (xiv) Nandurbar (xv) Jalgaon (xvi) Aurangabad (xvii) Parbhani (xviii) Hingoli (xix) Jalna (xx) Nanded (xxi) Beed (xxii) Latur (xxiii) Osmanabad</p> <p>in the state of Maharashtra which will be coterminous with the jurisdiction of Principal Chief Commissioner of Income-tax, Pune.</p>	<p>All powers and functions related to and in connection with collection, collation, verification and dissemination of information under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including sections 131, 133, 133A, 133B, 134, 135, 285BA, and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.</p>
			<p>Areas within the limits of all states and union territories of India</p>	<p>All powers and functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.</p>
15.	Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Nagpur	Nagpur	<p>Areas within the limits of the Revenue districts (including any district carved out from these subsequently) of:</p> <p>(i) Nagpur (ii) Amravati (iii) Akola (iv) Buldhana</p>	<p>All powers and functions related to and in connection with collection, collation, verification and dissemination of information under the</p>

Sl. No.	Director of Income-tax	Headquarters	Territorial jurisdiction	Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(v) Washim (vi) Bhandara (vii) Wardha (viii) Yavatmal (ix) Gondia (x) Chandrapur (xi) Gadchiroli in the state of Maharashtra which will be coterminous with the jurisdiction of Principal Chief Commissioner of Income-tax, Nagpur	Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including sections 131, 133, 133A, 133B, 134, 135, 285BA, and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
			Areas within the limits of all states and union territories of India	All powers and functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
16.	Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Hyderabad	Hyderabad	Areas within the limits of the states of Andhra Pradesh and Telangana; Yanam of union territory of Puducherry	All powers and functions related to and in connection with collection, collation, verification and dissemination of information under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including sections 131, 133, 133A, 133B, 134, 135, 285BA, and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.


Sl. No.	Director of Income-tax	Headquarters	Territorial jurisdiction	Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Areas within the limits of all states and union territories of India	All powers and functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
17.	Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Bhubaneswar	Bhubaneswar	Areas within the limits of the state of Odisha	All powers and functions related to and in connection with collection, collation, verification and dissemination of information under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including sections 131, 133, 133A, 133B, 134, 135, 285BA, and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
			Areas within the limits of all states and union territories of India	All powers and functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
18.	Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Kochi	Kochi	Areas within the limits of the state of Kerala, union territory of Lakshadweep, Mahe of union territory of Puducherry	All powers and functions related to and in connection with collection, collation, verification and

Sl. No.	Director of Income-tax	Headquarters	Territorial jurisdiction	Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				dissemination of information under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including sections 131, 133, 133A, 133B, 134, 135, 285BA, and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
			Areas within the limits of all states and union territories of India	All powers and functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
19.	Director of Income-tax (Intelligence and Criminal Investigation), Bengaluru	Bengaluru	Areas within the limits of all states and union territories of India	All powers and functions under section 132 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.
			Areas within the limits of the states of Karnataka and Goa	All powers and functions related to and in connection with collection, collation, verification and dissemination of information under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), including

Sl. No.	Director of Income-tax	Headquarters	Territorial jurisdiction	Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				sections 131, 133, 133A, 133B, 134, 135, 285BA, and corresponding provisions of Chapter XXI (Penalties imposable), Chapter XXII (Offences and Prosecutions) and other provisions incidental thereto of the said Act.

2. This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

[Notification No. 77/2014. F. No. 187/37/2014 (ITA.I)]



DEEPSHIKHA SHARMA
Director to the Government of India

To
The Manager
Government of India Press
Ring Road, Mayapuri Industrial Area (Near Rajouri Garden), New Delhi.

{भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ}

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(आयकर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसंबर, 2014

का.आ..... (अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, की अधिसूचना सं.का.आ.1942(अ), दिनांक 19 अगस्त, 2011, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उप खंड (ii) में दिनांक 19 अगस्त, 2011 को प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई तथा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए,-

(i) निदेश देता है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची-I के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट आयकर महानिदेशक (आसूचना एवं आपराधिक जांच), नई दिल्ली, जिनका मुख्यालय उक्त अनुसूची के कालम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट स्थान में है, ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र या ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों की श्रेणियों या ऐसे आय या आय की श्रेणियों या ऐसे या मामलों या मामलों की श्रेणियों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निष्पादन करेंगे जो उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयकर निदेशक के अधिकार क्षेत्र में आते हैं;

(ii) निदेश देता है इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची-II के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट आयकर निदेशक, जिनका मुख्यालय अनुसूची-II के कालम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट स्थान में है, उक्त अनुसूची-II के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट प्रादेशिक क्षेत्रों के मामले में अनुसूची-II के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे;

(iii) इस अधिसूचना की अनुसूची-I के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट आयकर महानिदेशक (आसूचना एवं आपराधिक जांच) और अनुसूची-II के कालम (2) में विनिर्दिष्ट आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच) को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वे अपने अधीनस्थ आयकर प्राधिकारियों को अनुसूची-II के कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निष्पादन करने के लिए, अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रादेशिक क्षेत्र के बारे में, लिखित रूप में आदेश जारी कर सकते हैं।

अनुसूची-1

क्र. सं.	आयकर अधिकारियों के पदनाम	मुख्यालय	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आयकर महानिदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), दिल्ली	नई दिल्ली	(i) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच)(प्रशासन), दिल्ली (ii) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), दिल्ली (iii) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), मुंबई (iv) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), चेन्नई (v) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), कोलकाता (vi) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), चंडीगढ़ (vii) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), जयपुर (viii) आयकर निदेशक(आसूचना और आपराधिक जांच), अहमदाबाद (ix) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), लखनऊ (x) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), कानपुर (xi) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), गुवाहाटी (xii) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), पटना (xiii) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), भोपाल (xiv) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), पुणे (xv) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), नागपुर (xvi) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), हैदराबाद (xvii) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), भुवनेश्वर (xviii) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), कोच्चि (xix) आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), बेंगलुरु

अनुसूची-II

क्र. सं.	आयकर निदेशक	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	शक्तियां और कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच) (प्रशासन), दिल्ली	दिल्ली	भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य
			राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य
2.	आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), दिल्ली	दिल्ली	भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य
			राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां

क्र. सं.	आयकर निदेशक	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	शक्तियां और कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				और कार्य
3.	आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), मुंबई	मुंबई	भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य
			बृहतर मुंबई और नवी मुंबई की नगर निगमों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य
4.	आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), चेन्नई	चेन्नई	भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य
			तमिलनाडु राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र, पुदुचेरी (कराईकल सहित परंतु जिसमें माहे और यानम शामिल नहीं हैं) की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से

क्र. सं.	आयकर निदेशक	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	शक्तियां और कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य
5.	आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), कोलकाता	कोलकाता	भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य
			पश्चिम बंगाल और सिक्किम के राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सीमाओं के भीतर सभी क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य
6.	आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), चंडीगढ़	चंडीगढ़	भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य
			हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से

क्र. सं.	आयकर निदेशक	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	शक्तियां और कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य
7.	आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), जयपुर	जयपुर	भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य
			राजस्थान राज्य की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य
8.	आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), अहमदाबाद	अहमदाबाद	गुजरात राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दमन, दीव, और दादरा एवं नगर हवेली की सीमा के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य
			भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों और उसके अन्य

क्र. सं.	आयकर निदेशक	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	शक्तियां और कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य
9.	आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), लखनऊ	लखनऊ	<p>उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित राजस्व जिलों (बाद में इनमें से हटाये गये किसी भी जिले सहित) की सीमाओं के भीतर क्षेत्र जो प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश (पूर्व) के क्षेत्राधिकार के साथ सह अवसानिक होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. लखनऊ ii. उन्नाव iii. बाराबंकी iv. फैजाबाद v. सुल्तानपुर vi. आमेठी <p>(छत्रपति साहूजी महाराज नगर)</p> <ol style="list-style-type: none"> vii. प्रतापगढ़ viii. रायबरेली ix. जौनपुर x. बस्ती xi. गोंडा xii. बहराइच xiii. बलरामपुर xiv. श्राबस्ती xv. अम्बेडकर नगर xvi. सिद्धार्थ नगर xvii. संत कबीर नगर xviii. इलाहाबाद xix. मिर्जापुर xx. फतेहपुर xxi. सोनभद्र xxii. कौशाम्बी xxiii. वाराणसी 	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरापणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य

क्र. सं.	आयकर निदेशक	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	शक्तियां और कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			xxiv. भदोही (संत रविदास नगर) xxv. बलिया xxvi. गाजीपुर xxvii. चंदौली xxviii. गोरखपुर xxix. देवरिया xxx. मऊ xxxi. आजमगढ़ xxxii. कुशीनगर xxxiii. महाराजगंज xxxiv. बरेली xxxv. शाहजहाँपुर xxxvi. पीलीभीत xxxvii. हरदोई xxxviii. सीतापुर xxxix. लखिमपुर खीरी xl. मुरादाबाद xli. बिजनौर xlii. रामपुर xliii. बंदायू xliv. अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर) xlv. सम्भल	
			भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य
10.	आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), कानपुर	कानपुर	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में निम्नलिखित राजस्व जिलों (बाद में इनमें से हटाये गये किसी जिले सहित) की सीमाओं के भीतर क्षेत्र जो प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों

क्र. सं.	आयकर निदेशक	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	शक्तियां और कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>उत्तराखंड के क्षेत्राधिकार के साथ सह अवसानिक होंगे:</p> <p>i. कानपुर नगर</p> <p>ii. कानपुर देहात (रामाबाई नगर)</p> <p>iii. जालौन</p> <p>iv. हमीरपुर</p> <p>v. बांदा</p> <p>vi. चित्रकूट</p> <p>vii. महोबा</p> <p>viii. आगरा</p> <p>ix. मथुरा</p> <p>x. औरैया</p> <p>xi. फिरोजाबाद</p> <p>xii. झांसी</p> <p>xiii. ललितपुर</p> <p>xiv. इटावा</p> <p>xv. अलीगढ़</p> <p>xvi. फर्रुखाबाद</p> <p>xvii. कन्नौज</p> <p>xviii. एटा</p> <p>xix. हाथरस</p> <p>xx. मैनपुरी</p> <p>xxi. कांशीराम नगर</p> <p>xxii. मुजफ्फरनगर</p> <p>xxiii. शामली</p> <p>xxiv. सहारनपुर</p> <p>xxv. मेरठ</p> <p>xxvi. बागपत</p> <p>xxvii. गाजियाबाद</p> <p>xxviii. हापुड़ (पंचशील नगर)</p> <p>xxix. बुलंदशहर</p> <p>xxx. गौतम बुद्ध नगर</p> <p>xxxi. देहरादून</p> <p>xxxii. हरिद्वार</p> <p>xxxiii. उत्तरकाशी</p> <p>xxxiv. टिहरी</p>	<p>तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य</p>

क्र. सं.	आयकर निदेशक	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	शक्तियां और कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>गढ़वाल</p> <p>xxxv. पौड़ी गढ़वाल</p> <p>xxxvi. चमोली</p> <p>xxxvii. रूद्रप्रयाग</p> <p>xxxviii. नैनीताल</p> <p>xxxix. अल्मोड़ा</p> <p>xl. पिथौरागढ़</p> <p>xli. ऊधमसिंह नगर</p> <p>xlii. चम्पावत</p> <p>xliii. बागेश्वर</p>	
			भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य
11.	आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), गुवाहाटी	गुवाहाटी	असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के राज्यों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य
			भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य

क्र. सं.	आयकर निदेशक	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	शक्तियां और कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), पटना	पटना	बिहार और झारखंड राज्यों की सीमा के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य
			भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य
13.	आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), भोपाल	भोपाल	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य
			भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य

क्र. सं.	आयकर निदेशक	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	शक्तियां और कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), पुणे	पुणे	<p>महाराष्ट्र राज्य में राजस्व जिलों (इनमें से बाद में हटाए गये किसी जिले सहित) की सीमाओं के भीतर क्षेत्र जो प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पुणे के क्षेत्राधिकार के साथ सह अवसानिक होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. पुणे ii. अहमदनगर iii. सतारा iv. सोलापुर v. कोल्हापुर vi. सांगली vii. सिंधुदुर्ग viii. रत्नागिरि ix. थाणे x. रायगढ़ xi. पालघर xii. नासिक xiii. धुले xiv. नंदुरबार xv. जलगांव xvi. औरंगाबाद xvii. परभानी xviii. हिंगोली xix. जालना xx. नांदेड़ xxi. बीड xxii. लातूर xxiii. उस्मानाबाद 	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य
			भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य
15.	आयकर	नागपुर	महाराष्ट्र राज्य में राजस्व	आयकर अधिनियम, 1961 (1961

क्र. सं.	आयकर निदेशक	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	शक्तियां और कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), नागपुर		जिलों (इनमें से बाद में हटाए किसी जिले सहित) की सीमाओं के भीतर क्षेत्र जो प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर के क्षेत्राधिकार के साथ सह अवसानिक होंगे: i. नागपुर ii. अमरावती iii. अकोला iv. बुलढाना v. वाशिम vi. भंडारा vii. वर्धा viii. यवतमाल ix. गोंदिया x. चंद्रपुर xi. गढ़चिरोली	का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य
			भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य
16.	आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), हैदराबाद	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र, पुद्दुचेरी के यनम की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य

क्र. सं.	आयकर निदेशक	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	शक्तियां और कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य
17.	आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	ओडिशा राज्य की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य
			भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य
18.	आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), कोच्चि	कोच्चि	केरल राज्य, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, संघ राज्य क्षेत्र, पुदुचेरी के माहे की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुरूपी उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य

क्र. सं.	आयकर निदेशक	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	शक्तियां और कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य
19.	आयकर निदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच), बेंगलुरु	बेंगलुरु	भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 132 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों और उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां और कार्य
			कर्नाटक और गोवा के राज्यों की सीमाओं के भीतर क्षेत्र	आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अंतर्गत धारा 131, 133, 133क, 133ख, 134, 135, 285खक सहित, और उक्त अधिनियम के अध्याय XXI (अधिरोपणीय शास्तियां), अध्याय XXII (अपराध एवं अभियोजन) के तदनुसूची उपबंधों तथा उसके अन्य आनुषंगिक उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त सूचना के संग्रहण, मिलान, सत्यापन तथा प्रचार से संबंधित और संबंध में सभी शक्तियां और कार्य

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[अधिसूचना संख्या 77/2014, फाइल संख्या 187/37/2014 (आ.क.नि.-1)]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र

(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली ।